न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2 कौशाम्बी।

<u>एस.टी. नम्बर : 28/2017</u>

सरकार बनाम अजय दिवाकर।

अ0सं0 : 445/2016,
धारा : 3/5 विस्फोटक अधिनियम.
थाना : सरांयअकिल, जनपद कौ ाम्बी।

<u>आरोप</u>

मैं, डॉ0 हुमायूँ रशीद खान, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., कक्ष संख्या–2, कौशाम्बी आप अभियुक्त अजय दिवाकर उर्फ अजय कनौजिया उर्फ अशरफ पर निम्नवत अपराध के लिए आरोप लगाता हूँ :–

01, यह कि दिनांक 02.11.2016 को समय करीब 12.45 बजे स्थान बहद् ग्राम डहिया के पास, थाना सरांय अकिल, जनपद कौ ाम्बी में आपके कब्जे से बाई पैन्ट की जेब से एक पाली थीन में बम बनाने के उपकरण टेप धागा, रबड़ की गेटिस तथा साइकिल के छर्रे दो डिब्बो में एवं बोल्ड व गन्धक बारूद नाजायज बरामद किया, जिसे रखने का आपके पास अधिकारपत्र नहीं था। इस प्रकार आप द्वारा कारित अपराध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/5 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

दिनांक : 20.03.2017

(डॉ हुमायूँ रशीद खान),
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.–2,कौशाम्बी।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं विचारण की मॉग की ।

दिनांक : 20.03.2017

(डॉ हुमायूँ रशीद खान),
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.–2,कौशाम्बी।